बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं0–03/आ01–92/2023 ..../ श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–92363 दिनांक 01.12.2023 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय आदेश–116095 दिनांक 29.02.2024 द्वारा श्री शर्मा के दिनांक 31.01.2024 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो जाने के आधार पर इनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

3. **संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन दिया गया।**

4. प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या–379279 दिनांक 13.03.2026 द्वारा श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी.) के अंतर्गत " पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती " की शास्ति अधिरोपित की गई।

5. उक्त पारित दंडादेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा दंडादेश निर्गत होने के 48 दिनों के उपरांत **पुनर्विलोकन** अर्जी दायर की गयी है।

6. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24 (2) के प्रावधानों के तहत सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकती है। श्री शर्मा के द्वारा दायर अपील आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार किया गया है।**

7. **विश्लेषण में यह ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने आवेदन में उन्हीं बातों का दोहराव किया है, जो इनके द्वारा जांच/संचालन के दौरान कही गई है और जिसपर भली–भांति समीक्षा कर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।**

8. श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा माह जून से इतर माह में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना शिक्षकों का स्थानांतरण करने का आरोप प्रत्यक्षतः इनके विरूद्ध प्रमाणित पाया गया है। यदि किसी बाध्यकारी स्थिति में स्थानांतरण करना पड़ा तो इस पर उन बाध्यकारी स्थितियों को दर्शित करते हुए सक्षम प्राधिकार से घटनोत्तर अनुमोदन करने की कार्रवाई की जा सकती थी, जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। बिना नियोजन एवं बिना योगदान के शिक्षकों का भुगतान किए जाने के मामले में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है।

इस प्रकार सभी बिंदुओं पर सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके विरूद्ध समानुपातिक **(proportionate)** शास्ति अधिरोपित की गई है।

9. **फलतः** श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत **के विरूद्ध** बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी.) के अंतर्गत **" पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती "** की **अधिरोपित/संसूचित शास्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई आधार स्थापित नहीं होता है, तदनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके अपील आवेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अतः** श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत **द्वारा दायर अपील आवेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) को अस्वीकृत किया जाता है।**

10. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ०1–92/2023 3/451229/पटना, दिनांक– 03/07/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी, जमुई /क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर /श्री शिव कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, जमुई, सम्प्रति–सेवानिवृत पता– ग्राम/मो0–वीरपुर, डाकघर–वीरपुर, थाना–वीरपुर, जिला–बेगुसराय, पिन कोड–851127 मोबाइल – 9955988540 /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 02-07-2026 10:14:51